


2
8-21

कार्यवाही के
अन्तर्गत प्रकरण के दस्तावेजों को
शुद्धी के लिए जमा है।
अतः अन्तर्गत प्रकरण पर
उ/स 212 RT Act. के अन्तर्गत
यमान के कोई दायित्व
नहीं होने के अन्तर्गत प्रकरण
को उ/स 212 RT Act. के
अन्तर्गत किया जाता है।
कार्यवाही के लिए पुनः
लोकल नोट के प्रकाश।

सहायक जज
बाबू-नरेश

